प्लास्टिक से ज्यादा खतरनाक कागज व जूट के बैग



- सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की अधिसूचना रद करने की मांग
- अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो: अब तक तो यही माना जाता रहा है कि प्लास्टिक के बैग पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने इसके उलट दलील दी है। प्लास्टिक बैग बनाने वाले इस याचिकाकर्ता कहना है कि प्लास्टिक के बैग से कहीं ज्यादा प्रदूषण कागज व जूट के बैग फैलाते हैं। इसी दलील के आधार पर याचिकाकर्ता ने प्लास्टिक बैगों पर पाबंदी के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रतिवादी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ता इकबाल नूर के वकील कुंदन मिश्रा ने प्लास्टिक बैंग पर रोक लगाने वाली दिल्ली सरकार की 7 जनवरी की अधिसूचना रद करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका पक्ष सुने बगैर सरकार ने रोक की अधिसूचना जारी कर दी है। इकबाल की याचिका में दिल्ली सरकार की गत वर्ष 21 नवंबर को जारी अधिसूचना और दिल्ली प्लास्टिक एक्ट 2000 को भी रद किये जाने की मांग की गई है। इसके

मूर्ति विसर्जन रोकने की मांग खारिज

नई दिल्ली, जाब्यू: निदयों में मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मुद्दे को धार्मिक मान्यता से जुड़ा होने के आधार पर आदेश देने से इन्कार कर दिया। जनहित याचिका में दुर्गापूजा जैसे अवसरों पर निदयों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सलेक चंद जैने की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई से साफ इन्कार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यहु मुद्दा जिम्मेदार अथारिटी के संज्ञान में क्यों नहीं लाता? मामला अनुच्छेद 25 (किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता) से संबंधित है। इस पर कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।

पीछे दलील है कि अधिसूचना जारी करने से पहले 45 दिन का नोटिस नहीं दिया। दलील यह भी है कि दिल्ली विधानसभा को प्लास्टिक एक्ट 2000 बनाने का अधिकार ही नहीं है। पर्यावरण संबंधी विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। रोक आदेश जारी करने से पहले इस बात का शोध नहीं हुआ कि प्लास्टिक बैग किस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर प्लास्टिक बैग पर रोक् लग गई तो पेपर या जूट के बैग उपयोग में लाए जाएंगे। जबिक पेपर बनाने में बहुत से पेड़ कटेंगे। यहीं नहीं, पेपर मिलों से निकलने वाले हानिकारक गैसों से भी पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर जूट के थैले प्रयोग किए जायेंगे तो भी जूट तैयार करने में भारी मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है।

Paper and Jute Bags are more harmful than plastics

- Appeal to Supreme Court for withdrawing the Delhi Govt. Notification
- Supreme Court has sent notices to Union Govt. and Delhi Govt.

New Delhi Jagaran Bureau: Till now, the perception was that plastic bags are harmful for the environment. However, one petitioner has submitted just the opposite fact in the Supreme Court. The petitioner, who is a manufacturer of plastic bag claims that paper and jute bags emit more pollution than that of plastic bags. On the basis of this, the petitioner has challenged the Delhi Govt's Notification on the ban of plastic bags. The Supreme Court has issued notice to the Govt. Of India as well as the Delhi Govt The Supreme Court has also asked response from Municipal Corporation of Delhi (MCD), New Delhi Municipal Council (NDMC), Delhi Cantonment Board (DCB) and Central Pollution Control Board (CPCB).

Shri Kundan Mishra, the Advocate for the Petitioner, Mr. Iqbal Noor, said that Delhi Govt. Notification of 7th Jan 09 on the ban was issued without hearing his client's view and hence, the notification should be withdrawn. The petition of Mr. Iqbal has also sought withdrawal of the notification of 21st Nov last year and Delhi Plastic Act 2000. The reason behind this is that the mandatory 45 days notice was not issued before the said notification. The petition also says that Delhi Legislative Assembly is not even empowered to enact Plastic Act 2000. It is only the Union Govt. who can make any law related to environment. While issuing the notification, it was not clarified how plastic bag was creating environmental pollution. If there is a ban on plastic bag, then paper or jute bags would be used. Whereas for manufacture of paper, lot of trees would have to be felled. Not only that the emissions from the paper mills would also make more environmental pollution and if jute bags are to be used then also more amount of water would be used for manufacturing the jute bags.

(Nominal Translation of the Hindi Report)